फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम हारून**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15 / 167 / **2022 दायर दिनांक** 03.06.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी हारून खान पुत्र श्री इसमाईल जाति मेव, निवासी ग्राम तिलवाड, इंदपुर तहसील रामगढ़, जिला अलवर राजस्थान जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन टैम्पू रजि0 सं0 आर.जे.02 जी.सी. 1085 अन्तर्गत धारा 5, 6, 9 आर.बी.एक्ट के तहत थाना नौंगावा द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना नौगांवा से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी नौगांवा द्वारा निवेदन किया कि मुलजिम हारून खान पुत्र श्री इसमाईल जाति मेव, निवासी ग्राम तिलवाड, इंदपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के खिलाफ जुर्म दफा 5, 6, 8 ,9 आर.बी.एक्ट का अपराध साबित पाया जाने पर मुलजिम हारून को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम हारून खान पुत्र श्री इसमाईल जाति मेव, निवासी ग्राम तिलवाड, इंदपुर तहसील रामगढ़, जिला अलवर न्यायालय द्वारा जमानत पर है। मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन टैम्पू रजि0 सं0 आर.जे.02 जी.सी. 1085 को सुपुर्दगी पर छोडने में कोई आपत्ति नही है। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से मुलजिम का अपराध मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी नौगांवा प्रमाणित है। अतः जप्तशुदा वाहन टैम्पू रजि0 सं0 आर.जे.02 जी.सी. 1085 को 20,000/– (बीस हजार रूपये) के जुर्माने एवं जप्तशुदा वाहन टैम्पू रजि0 सं0 आर.जे.02 जी.सी. 1085 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/– (पांच लाख रूपये मात्र/– तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। जुर्माने की राशि मद संख्या 0070–01–102–03–00–कार्यपालिका दण्डाधिकारी न्यायालय में जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय को पेश करें। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 05.07.2022 को पेश हों। **जिला कलक्टर** **अलवर**	

05/07/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उप०/ ~~अन्य राजकार्य में~~ नियमित
अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते पत्रावली / मुद्दईगण को पेश हो।
दिनांक 18/07/22

रीडर

18/07/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उप०/
अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते मुद्दईगण को पेश हो।
दिनांक 02/08/22

रीडर

02/08/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उप०/
अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली वास्ते मुद्दईगण को पेश हो।
दिनांक 23/08/22

रीडर

04/08/22

वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर मिसिल तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि के समायोजन मुचलके / मुद्दईगण पेश किये गये जिनको तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये। [illegible] को वास्ते मुद्दईगण [illegible] [illegible] प्राप्त हो। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)